न्यायालय:अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, बयाना, जिला भरतपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी - प्रदीप कुमार, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
निर्णय दिनांक - 17.08.2026
सेशन केस संख्या - 69/2019
सी०आई०एस नंबर - 73/19
प्र०सू०रिपोर्ट सं. व पुलिस थाना - 691/2019, पुलिस थाना, बयाना

परिवादी-प्रार्थी	राजस्थान राज्य

प्रस्तुतकर्ता	**श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक** वास्ते-राजस्थान राज्य
अभियुक्त का विवरण	**01. राममोहन उर्फ राम चौधरी** पुत्र स्व० उदल सिंह, उम्र 24 साल, निवासी- झामरी थाना बयाना, जिला भरतपुर (राज०)
अधिवक्ता अभियुक्त	**1. श्री रूपेन्द्र सिंह सिनसिनवार**
अधिवक्ता परिवादी-पीडित पक्ष	**1. श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री भगवान सिंह गुर्जर**

अपराध घटित होने की दिनांक	25.04.2019
प्र०सू०रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	28.07.2019
आरोप पत्र पेश होने की दिनांक	04.11.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	03.01.2020
साक्ष्य हेतु नियत किये जाने की दिनांक	26.02.2020
बहस अंतिम सुनी जाने की दिनांक	08.08.2026
निर्णय पारित किये जाने की दिनांक	17.08.2026
दंडादेश हेतु नियत दिनांक, यदि कोई हो	----------

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अधिरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के लिये
01.	राममोहन उर्फ राम चौधरी	05.08.19	06.12.19	धारा 363, 366, 376, 384 भादंसं	दोषमुक्त	**निर्णयानुसार**	

-:: निर्णय::-

दिनांक: 17.08.2026

01. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियोक्त्री/पीड़िता को उसके नाम से सम्बोधित नहीं कर अभियोक्त्री/पीड़िता के रूप में लिखा जायेगा।

02. अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 28.07.2019 को पीडिता पी०ड० 01 ने पुलिस थाना बयाना में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि पीडिता निवासी थाना लक्ष्मनगढ, जिला अलवर की रहने वाली है । दिनांक 25.04.19 को पीडिता अपने पीहर गाँव बैलारा आ रही थी, कि रास्ते में डहरामोड बस स्टैण्ड पर राम मोहन पुत्र उदल सिह मिला, जिसे पीडिता पहले से जानती थी । पीडिता को बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसमें पहले से कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था और पीडिता को अपने साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने गांव झामरी ले गया, वहां रात को पीडिता के साथ बलात्कार किया और पीडिता की अश्लील वीडियो बनायी तथा पीडिता को उक्त वीडियो दिखाकर ब्लैक मेल किया । अगली सुबह दिनांक 20.04.2019 को अपने पीहर बैलारा के लिए भेज दिया और कहा कि अगर तुमने तुम्हारे साथ हुए दुष्कर्म के बारे में किसी को बताया, तो तुम्हारी उक्त विडियो को नेट पर वायरल कर देगा । पीडिता अपने पीहर से ससुराल चली गई तथा वहां गुमसुम रहने लगी । उक्त राममोहन ने दिनांक 05.05.19 की पीडिता मोबाईल पर 7976527847 पर मैसेज किया । इस नंबर 9449461054 से इस नंबर पर 7976527847 पर मैसेज किया, कि तुम उसे 50,000 रुपये पचास हजार दो नहीं, तो वह अश्लील वीडियो को नेट पर वायरल कर देगा । डर कि वजह से पीडिता 05.05.2019 को अपने घर से चुपचाप 25,000 रुपये लेकर डहरामोड पहुंची, तो वहां पर राममोहन पहले से ही मौजूद था । राममोहन के साथ पतला सा व्यक्ति और था, जो मोटरसाईकिल पर बैठा था। राममोहन ने पीडिता से और अधिक पैसो की मांग की। पीडिता ने वीडियो क्लिप मांगी, तो राममोहन ने देने से मना कर दिया और पीडिता को डरा-धमकाकर भगा दिया, तब से राममोहन ने

अपने अलग-अलग मोबाईल से 8058430232, 9449461054, 6377839436 से पीडिता की अश्लील वीडियो नेट पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। पीडिता ने अपने साथ हुई समस्त घटना के बारे मे विस्तार से बताया और पति ने पीडिता को घर से बाहर निकाल दिया और पीडिता दिनांक 23.07.2019 को अपने पीहर पहुंची । पीडिता ने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने माता-पिता व भाई के साथ आज रिपोर्ट दर्ज कराने बयाना आई है..........इत्यादि । उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मु.नं. 691/91 अपराध धारा 363, 366, 376, 384 भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त राममोहन उर्फ राम चौधरी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 384 भादंसं में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.11.2019 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जहॉ से प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होने पर कमिट होकर दिनांक 18.11.2019 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त राममोहन उर्फ राम चौधरी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 384 भादंसं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये, तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान परीक्षित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**किस तथ्य से संबंधित साक्ष्य**
01.	पी०ड० 01 पीडिता	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी02, नक्शा मौका प्रदर्श पी03, पीडिता के 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी04, बलात्कार संबंधी परीक्षण प्रदर्श पी05 से संबंधित
02	पी०ड० 02 पीडिता के पिता	अभियोजन कहानी की ताईद, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी02 से संबंधित
03.	पी०ड० 03 पीडिता का भाई	अभियोजन कहानी की ताईद व फर्द नक्शा मौका तफ्तीश घटनास्थल से संबंधित
04.	पी०ड० 04 रमेशचंद	फर्द नक्शा मौका तफ्तीश घटनास्थल प्रदर्श पी03 से संबंधित
05.	पी०ड० 05 पवन सिंह डागुर	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी प्रदर्श

		पी06 से संबंधित
06.	पी०ड० 06 जीतेन्द्र सिंह	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी प्रदर्श पी06 से संबंधित
07.	पी०ड० 07 सुरेश मीना	असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी07 से संबंधित
08.	पी०ड० 08 डॉ० लखपत राम	मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी की पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट प्रदर्श पी08 से संबंधित
09.	पी०ड० 09 डॉ० मनोज	पीडिता की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी09 से संबंधित
10.	पी०ड० 10 डॉ० दीपक कुमार सिंघल	पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी05, पीडिता की एफएसल रिपोर्ट प्रदर्श पी09 से संबंधित
11.	पी०ड० 11 हरेन्द्र सिंह	एफएलएल जमा माल की रसीद प्रदर्श पी10 से संबंधित
12.	पी०ड० 12 दीपक ओझा	सम्पूर्ण अनसंधान से संबंधित

05. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी1	तहरीरी रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी2	चाक एफआईआर
03.	प्रदर्श पी3	फर्द निशांदेही नक्शा मौका घटनास्थल
04.	प्रदर्श पी4	पीडिता के 164 सीआरपीसी के बयान
05.	प्रदर्श पी5	पीडिता का मेडिकल परीक्षण
06.	प्रदर्श पी6	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी
07.	प्रदर्श पी7 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
08.	प्रदर्श पी8	मुलजिम राममोहन का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल
09.	प्रदर्श पी9	एफएसएल रिपोर्ट
10.	प्रदर्श पी10	जमा एफएसएल रिपोर्ट प्राप्ति रसीद

06. प्रकरण में अभियोजन की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

07. प्रकरण में न्यायालय की ओर से निम्न दस्तावेज बतौर न्यायालय प्रदर्श प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र०सं०	न्यायालय प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
01.	-	-

08. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं लिये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये गवाहान की साक्ष्य को गलत व असत्य होना बताया है ।

क्र०सं०	बचाव साक्षी का नाम	किस तथ्य से संबंधित है
01.	-	-

09. बचाव पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ।

क्र०सं०	दस्तावेज	दस्तावेजों का विवरण
01.	प्रदर्श डी01	पीडिता के 161 सीआरपीसी के बयान
02.	प्रदर्श डी02	पीडिता के पिता के 161 सीआरपीसी के बयान
03.	प्रदर्श डी03	पीडिता के भाई के 161 सीआरपीसी के बयान

10. बचाव पक्ष की की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

11. बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस तर्क दिया, कि अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

13. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस तर्क रहा है, कि घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी01 देरी से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई कारण नहीं है । घटना दिनांक 25.04.2019 की होना बताई गई है और रिपोर्ट प्रदर्श पी01 दिनांक 28.07.2019 को दर्ज कराई है । पीडिता के मेडिकल में कोई बलात्कार के अलामात नहीं मिले है । एफएसएल रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिससे पीडिता की सहमति बलात्कार के संबंध में प्रकट होती है । पीडिता के बयानों में गंभीर विरोधाभास है । अपने आपको बेहोशी की हालत में मोटरसाईकिल पर बैठना बताती है । अन्य सभी गवाह घटना के

चश्मदीद गवाह नहीं है । अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

14. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.04.2019 को जब पीडिता अपने पीहर गांव बैलारा आ रही थी, तो रास्ते में डहरामोड बस स्टैण्ड पर उसे बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाई और उसे अपने साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने गांव झामरी ले जाकर उसके विधिक संरक्षण से बिना उसकी सहमति से उसको मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जाकर पीडिता को विवाह या अयुक्त संबंध करने के आशय से अपहरण/व्यवहरण कर बलपूर्वक बलात्संग किया व उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर कहा, कि उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसकी वीडियो वायरल कर देगा ?

2. यदि हॉं, तो दण्डादेश ?

<u>**विचारणीय बिन्दु संख्या एक**</u>

15. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करें, तो रिपोर्टकता पी०ड० 01, पीडिता ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि दिनांक 25 अप्रैल, 2019 शाम साढे चार बजे वह अपनी ससुराल से पीहर जाने के लिये नदबई बस स्टैण्ड पर खड़ी हुई थी। उसे वहां राममोहन मिल गया, जिसने उसको कोल्डड्रिंक पिलाई। उसने कहा, कि तुम बैलारा चल रही हो, तो उसकी बाईक पर बैठ जाओ, वह उसे बैलारा छोड देगा। वह मोटरसाइकिल पर बैठ गयी और उसके पीछे एक आदमी और बैठ गया। राममोहन उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर झामरी गांव ले गया। रात्रि को राममोहन ने उसके साथ बलात्कार किया। 26 तारीख को उसने उसे बलात्कार वाली फोटो व वीडियो दिखाई, जिनको दिखाकर राममोहन ने उससे 10 दिन के अन्दर 50 हजार रूपये देने को कहा और उसे डहरामोड छोड गया। दिनांक 05.05.2019 को उसके मोबाईल पर फोन आया।

जिस नम्बर से उसे फोन आया था, उसका लास्ट का 1054 नम्बर है। फोन पर उससे कहा, कि तुम 50 हजार रूपये लेकर डहामोड पहुंचो। उसके पास 50 हजार रूपये नहीं थे, परन्तु 25 हजार रुपये लेकर दिनांक 05.05.2019 को डहरामोड पर पहुंची। उसको डहरामोड पर पहले से ही राममोहन व उसका एक साथी खड़ा हुआ मिला। उसने उसे रूपये दे दिये और फोटो व वीडियो को डिलीट करने को कहा, परन्तु नहीं किये तथा उसे डरा-धमकाकर भगा दिया। वह उसे तीन नम्बरों से फोन करता था। जब वह फोन करने लग गया, तो उसने परेशान होकर अपने पति को पूरी बात बताई। जब उसने 23.07.2019 तारीख को यह बात अपने पति को बताई, तो उसने उसको अपने घर से निकाल दिया।। पति के द्वारा निकालने के बाद वह अपने पीहर आ गयी। उसने अपने माता-पिता व भाई वगैरा सभी घरवालों को उक्त सारी बात बताई। वह दिनांक 28.07.2019 को अपने माता-पिता के साथ थाने पर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आयी, जो उसने दर्ज करवाई थी। असल तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है जिन पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-1 की कार्यवाही पुलिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके न्यायालय में 164 सीआरपीसी के तहत बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसका बलात्कार सम्बन्धी परीक्षण हुआ था, जो प्रदर्श पी-5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वह जब डहरामोड पर आई थी, तब अकेली आई थी और पति साथ नहीं थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वह सीधे ही भरतपुर के लिए दिखाने के लिए नहीं गयी थी। नदबई बस स्टेण्ड पर हाईवे नहीं है, बस दो-तीन खोखे ही हैं। कोल्डड्रिंक उसके सामने नहीं खरीदी थी, बल्कि वह अपने साथ लेकर आया था। वह बोतल कांच की थी। इन्होंने भी कोल्ड्रींग अलग-अलग पी थी। यह तीन बोतल लेकर आया था। जब बैलारा के लिए गये थे, तब बाईक को राममोहन ही चला रहा था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वह बाईक पर इसके जस्ट पीछे बैठ गयी थी। इतना उसको पता नहीं है, कि रास्ते में वे कहीं रूके थे या नहीं। उसको कोल्डड्रिक पीते ही

अजीब सा सिर हो गया था और सिर भारी भारी सा हो गया था। इसके बाद उसको पता नहीं है, कि ये कहां पर गये थे। सुबह करीब 4-5 बजे होश आया था। राममोहन ने उसको वीडियो दिखाया था, उस आधार पर कहती है, कि उसका बलात्कार राममोहन ने ही किया था। स्वयं कहा कि उसने अपने आपको नग्न पाया था और महसूस भी हुआ था। शाम को उसको राममोहन के परिवार वाले मिले या नहीं उसे पता नहीं, क्योंकि उसको होश नहीं था। सुबह राममोहन की माँ मिली थी। उन्होंने शाम को कहीं भी खाना-पीना नहीं खाया था। जब राममोहन उसको डहरामोड छोडकर गया था, तब वह वहां से पहले अपने पीहर बैलारा गयी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने यह घटना मम्मी-पापा को नहीं बताई थी। स्वयं कहा कि क्योंकि इन्होंने धमकी दी थी। राममोहन से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। वह पहले से इसको नहीं जानती थी। वह नहीं बता सकती कि इसने उसके साथ कितने बजे बलात्कार किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि राममोहन एक पैर से विकलांग है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका कौनसा पैर विकलांग है। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 का ए से बी भाग गलत लिखा होना बताया है। पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में राममोहन को 25 हजार रूपये देने वाली बात नहीं लिखी हो, तो वह नहीं कह सकती, उसने पुलिस वालों को बताया था। उसके पति को दिनांक 23.07.2019 को इस घटना के बारे में अपने पति को बताया था, उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में क्यों नहीं लिखी है, वह नहीं कह सकती । उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में उसके माता-पिता व भाई के साथ थाने पर रिपोर्ट करने की बात क्यों नहीं लिखी हुई, उसे नहीं पता है, उसने पुलिस को बताया था। उसके पुलिस बयान थाने पर ही रिपोर्ट के दूसरे दिन ही दर्ज करा दिये थे। रिपोर्ट उसके भाई पुष्पेन्द्र ने लिखी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी-1 पर उसके अलावा उसके पापा व भाई के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी-1 पर समय अंकित नहीं है और कार्यवाही पुलिस पर भी समय अंकित नहीं है। नक्शा मौका उसकी निशादेही से बनाया था, उसकी निशादेही नहीं लिखी हो, तो वह नहीं कह सकती हूँ। उसकी सीडी कब बनाई थी, उसे पता नहीं है। उसके जिस दिन बयान हुए थे, उसी दिन उसकी सीडी बनाई थी। यह सही है, कि जिस दिन बयान हुए थे, उस दिन उसका मैडीकल नहीं कराया था,

क्योंकि उस समय उसका पीरियड चल रहा था। मेडीकल प्रदर्श पी-5 को उसको पढकर नहीं बताया था। इसमें उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं बताई हो, तो वह नहीं कह सकती। उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नही थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि राममोहन एक पैर से अपाहिज है, इस वजह से वह मोटरसाइकिल नहीं चलाता हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि जब वह अपने ससुराल मंजसा से चली थी, तब उसने राममोहन को फोन कर दिया हो, कि तुम डहरामोड मिल जाना। स्वयं कहा कि राममोहन से एक दिन पहले फोन पर बात हुई थी और उससे कहा कि था कि वह कल आयेगी। जो तीसरा व्यक्ति बैठा था, वह उसके पीछे मोटरसाइकिल पर दोनों साईडों में पैर करके बैठ गया था। वह उस व्यक्ति को नहीं जानती है। डहरा मोड स्टैण्ड से लेकर गये थे, तब वह बेहोश हो गयी थी और रास्ते में कोई उसको मिला या नहीं, उसे नहीं पता है। उसने रास्ते में हल्ला हेल भी नहीं मचाया था। वीडियो कैसेट पत्रावली में नहीं लगी हुई है। उसको राममोहन ने विवाह का झांसा नहीं दिया था। उसको 164 के तहत होने वाले बयानों की तारीख याद नहीं है। 25 तारीख को आने की बात उसने राममेहन को बताई और यह बात उसके 164 सीआरपीसी बयानो में सही लिखा हुआ है। यह सही है कि वह राममोहन से रात-रात भर बातचीत करती थी। जब वह राममोहन को जानती ही नहीं थी, तो उसको इसके चाल-चलन पर शक कैसे होता। यह सही है कि जब राममोहन उसको लाल पैर वाली दवा देकर आया था, तब वह उस दवा को लेने के बाद बेसुध हो जाती थी। पहले लाल पैर वाली दवा देने के बाद बेसुध हो जाने के बाद भी वह उस पर दुबारा विश्वास करने लग गयी और कोल्ड्रिक पी ली। यह सही है कि वह अपने नम्बर को व राममोहन के नम्बर को, जिससे उसने फोन किया था, उस मोबाईल नम्बर को नहीं बता सकती। उसके द्वारा डहरामोड पर राममोहन को 25 हाजर रूपये देने वाली बात अगर उसके 164 सीआरपीसी में नहीं लिखाई हो, तो वह नहीं कह सकती, बल्कि उसने तो बताया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके मुलजिम से पहले से ही शारीरिक सम्बन्ध थे तथा एक बार मंजसा उसकी ससुराल गया हो और वे दोनों पेट्रोल पम्प पर मिले हो और उन दोनों के बीच में शारीरिक सम्बन्ध बने हों।

16. पीडिता के पिता पी०ड० 02 ने साक्ष्य में कथन किया है, कि उसके दो बच्चे एक लड़की व दो लड़कें हैं। उसने उसकी लड़की/पीडिता की शादी उदयसिंह के साथ शादी की थी। दिनांक 23.07.2019 को पीडिता उसके पास गांव बैलारा में आई। उसने कहा कि उसको उसके पति ने निष्कासित कर दिया है, तो उसने कारण पूछा, जिस पर उसने कहा, कि दिनांक 25.04.2019 को वह अपनी बीमारी के कारण भरतपुर जा रही थी, तो बैलारा बस स्टैण्ड पर उतर गयी, जहां उसे राममोहन मिला। उसने उसकी लडकी को कौल्डड्रिंक पिलाई। राममोहन के साथ एक आदमी और था। ये दोनों लडकी को अपने साथ ले गये। दिनांक 25.04.2019 को रात्रि को उसकी लडकी के साथ बलात्कार हुआ। दिनांक 26.04.2019 को उसकी बेटी को उसका वीडियो दिखाकर व धमकाकर वहां से भेज दिया। दिनांक 23.07.2019 को उसकी बेटी उसके पास आई और उसने पूरी आपबीती सुनाई और कहा कि उसके पति ने उसको निष्कासित कर दिया है। राममोहन आये दिन उसकी बेटी को परेशान करता था, कि तेरी वीडियो सबको बता देगा। दिनांक 25.05.2019 को राममोहन ने उसकी बेटी से 50 हजार रुपये की मांग की। फिर कहा पैसे की मांग दिनांक 05.05.2019 को की थी। उसकी बेटी ने उसको 25 हजार रुपये दे दिये, जो बात उसको उसकी बेटी ने बताई थी। उसकी बेटी को जिस फोन से कॉल किया था, उसके अंतिम नम्बर 1054 हैं। दिनांक 28.07.2019 को 7-8 बजे के करीब एफआईआर दर्ज करवाई थी। असल तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर कार्यवाही पुलिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि उसकी बेटी दिखाने के लिए दिनांक 25.04.2019 को आयी थी। यह सही है, कि उसकी बच्ची बैलारा गांव से भरतपुर के लिए इलाज हेतु नहीं गयी थी। उस दिन उसकी लडकी मनजब्ता गांव से उनके गांव के लिए आयी थी। उसकी बच्ची ने तीसरे आदमी का नाम नहीं बताया था। उसे जानकारी नहीं है, कि वह तीसरा आदमी कौन था और न ही उसकी बेटी से पूछा। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जो मॉबाईल नम्बर वह बता रहा है, वो उसकी बेटी ने ही उसको बताया था और आज उसने उसी आधार पर बताया है । उसकी इस मोबाईल नम्बर

पर बात नहीं हुई थी। उसने वो वीडियो और फोटोज नहीं देखे, जिनकी वायरल करने की धमकी दी थी। वह वक्त घटना राममोहन को नहीं जानता था। यह सही है कि दिनांक 23.07.2019 को उसकी बेटी उसके पास आई थी और पूरी घटना उसको बता दी थी। यह सही है कि उसने उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । उस दिन उसकी बेटी ने उसको अपनी माँ या भाई को किसी को घटना के बारे में नहीं बताया था। उसकी पुत्री गांव अकेले ही गयी थी। उसने नहीं पूछा कि कहां से आई हो और कब की आई है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्यों आई हो, तो उसने कुछ नहीं बताया। असल रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसके भतीजे पुष्पेन्द्र की कलमी है। प्रदर्श पी-1 में समय का इन्द्राज है या नहीं इस बारे में वह नहीं जानता है। प्रदर्श पी-1 में 25 हजार रूपये देने की बात क्यों नहीं लिखी है, वह कारण नहीं बता सकता, जबकि उसने लिखवाई थी। उससे पुलिस ने इस घटना के बारे में शायद एक-दो दिन बाद पूछताछ की थी, तारीख उसको याद नहीं है। उसने अपने पुलिस बयान में अपनी बेटी का 26 तारीख को अपने पास आने की बात उसने लिखवाई थी, परन्तु उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-2 में क्यो नहीं लिखा है, वह कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस बयान में डहरामोडा पर दूसरे व्यक्ति के खडे होने वाली बात पुलिस को बताई थी अगर उसके पुलिस बयान में ये बात नहीं लिखी है, तो वह कारण नहीं बता सकता। उसकी असल तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में भी किसी दूसरे आदमी के वहां पर खड़े होने की बात नहीं लिखी है, तो वह कारण नहीं बता सकता, उसने लिखाई थी। असल तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता है। स्वयं कहा कि कार्यवाही पुलिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट कराने वह और उसकी बेटी ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ भतीजा था और पुत्र भी साथ था। प्रदर्श पी-1 पर उसके भतीजे व बेटे के हस्ताक्षर नहीं है। जिस दिन रिपोर्ट कराई थी, उसी दिन मैडीकल नहीं हुआ था। उसकी पुत्री का इस घटना के लगभग तीन महीने बाद मैडीकल हुआ था। वह नहीं जानता, कि राममोहन व पीडिता घटना से पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे। उसकी बेटी ने भी इस बारे में उसको नहीं बताया था, कि राममोहन को वह जानती है या नहीं। फिर कहा कि उसकी लडकी राममोहन को पहले से जानती थी। फिर कहा कि उसे

नही बताया था कि उसकी बेटी राममोहन को पहले से जानती थी या नहीं। उसकी बेटी ने उसको नहीं बताया कि राममोहन पूर्व में अलवर में पेट्रोल पम्प पर मिल चुका हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी बेटी के राममोहन के साथ पहले से ही सम्बन्ध हों। उसकी बेटी से उसने नहीं कहा कि तूने शोर क्यों नहीं मचाया, क्योंकि उसकी बच्चे को नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक के साथ मिला दिया था। उसकी बच्ची ने बताया कि वह रास्ते में चलते हुए बेहोश हो गयी थी और उसको दूसरे दिन 26 तारीख को होश आया था। उसकी बेटी के रास्ते में बेहोश हो जाने वाली बात व दूसरे दिन होश आने वाली बात रिपोर्ट में नहीं लिखी हो, तो वह नहीं कह सकता उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में लिखवाया था। उसे याद नहीं है कि उसने रिपोर्ट प्रदर्श 01 पढी थी या नहीं । यह सही है कि वह बोलता गया था और उसका बेटा रिपोर्ट को लिखता गया था। कार्यवाही पुलिस पर अगर समय का इन्द्राज न हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। रिपोर्ट पर पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर उसी दिन करवा लिये थे। वह नहीं जानता कि राममोहन व उसकी बेटी का पति उदयसिंह पहले से जानकार हों।

17. पीडिता के भाई पी०ड० 03 ने साक्ष्य में कथन किया है, कि दिनांक 25.04.2019 को उसकी बहिन लक्ष्मणगढ से नदबई भरतपुर के लिए डाक्टर को दिखाने आई थी। वो नदबई बस पर उत्तरी, जहां उसे राममोहन मिल गया था। राममोहन ने उसकी बहिन के लिए कोल्डड्रिक्स पिलाई और गांव बैलारा छोडने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल से उसको सीधा गांव झामरी ले गया। उसकी बहिन सारी रात राममोहन के साथ रही, जब उसको होश आया, तो उसने अपने आपको नग्न अवस्था में पाया। राममोहन ने उसको उसका वीडियो दिखाया और मारने की धमकी दी थी, कि अगर किसी को कुछ बताया, तो वह वीडियो वायरल कर देगा । उसकी बहिन सुबह दिनांक 26.04.2019 गांव बैलारा 05.05.2019 को राममोहन ने अपने अलग-अलग नम्बरों से उसकी बहिन को फोन किया और उससे 50 हजार रूपये की मांग की थी। उसकी बहिन डरकर 25 हजार रूपये घर से लेकर दिनांक 05.05.2019 को डहामोड पहुंची, जहां राममोहन के साथ एक लडका और था। उसकी बहिन ने 25 हजार रुपये राममोहन को दे दिये, जिसके बाद राममोहन 25 हजार

रूपये और देने के लिए धमकी दी और वीडियो वायरल करने की बात कही। दिनांक 23.07.2019 को उसकी बहिन वापिस बैलारा आई और उनको अपनी पूरी आपबीती सुनाई और कहा कि उसको उसके पति ने घर से निकाल दिया है। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी बहिन राममोहन के साथ सारी रात रही थी और राममोहन ने उसके साथ बलात्कार किया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि दिनांक 25.04.2019 को वह गांव में नहीं था। वह 26 तारीख को दोपहर में अपने गांव में था। जब पीडिता 26 तारीख को उनके गांव बैलारा आई थी, तब वह नहीं था, उसके मम्मी-पापा थे। रिपोर्ट करवाने वह उसके पापा के साथ बयाना आया था। उसे आज याद नहीं है, कि उसने उस रिपोर्ट में हस्ताक्षर किये थे या नहीं। रिपोर्ट शाम को करीब 5-6 बजे करवाई थी। पुलिस ने नक्शा मौका 02.05.2019 को करीब दोपहर के बाद बनाया था। फिर कहा कि दोपहर 12-1 बजे बनाया था। नक्शा मौका की लिखा पढी उसके सामने की थी। पुलिस ने नक्शा मौका राममोहन के घर पर ही चबूतरे पर खड़े होकर बनाया था। पीडिता उनके पास जब उसको उसके पति ने घर से निकाल दिया था, वो दिनांक 23.07.2019 को आई थी। जिस दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आये थे उस दिन उसकी बहिन का मैडीकल नहीं हुआ था। उसने अपनी बहिन से कई बार पूछा था, कि तुम पहले से जानती हों क्या तो उसने उससे मना कर दिया। पुलिस बयान प्रदर्श डी-3 में पीडिता का 26 तारीख को आना क्यों नहीं लिखी है, वह नहीं बता सकता, उसने पुलिस को बताया था। पुलिस बयान प्रदर्श डी-3 में राममोहन द्वारा पचास हजार रूपये की मांग करने की बात नहीं लिखी हो, तो वह नहीं कह सकता, उसने पुलिस को बताया था। स्वयं कहा कि पचास हजार की मांग करने पर ही तो पीडिता ने 25 हजार रूपये दिये थे। उसके पुलिस बयान में 25 हजार रूपये लेने के बाद दोनों का अपने अपने गांव चले जाने का तथ्य अंकित नहीं है, तो वह नहीं कह सकता, उसने पुलिस को बताया था। जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उस दिन पीडिता का मैडीकल क्यों नहीं हुआ उसको पता नहीं है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी बहिन व राममोहन के बीच में पहले से नाजायज सम्बन्ध थे तथा

इस घटना से पूर्व उसकी बहिन राममोहन को जानती थी। उसको जानकारी नहीं है, कि इस घटना से 3-4 महीने पहले राममोहन उसकी बहिन को लाल पैर की दवाई लेकर आया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है, कि राममोहन एक पैर से विकलांग है। उसकी बहिन ने उसको बताया था कि वह कोल्डड्रिंक को पीकर रास्ते में बेहोश हो गयी थी, कहां पर बेहोश हुई थी, उसको नहीं बताया था। वह नहीं जानता कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि कोल्डड्रिंक पिलाने वाली बात नदबई स्टैण्ड की है। जब पीडिता 25 हजार रूपये लेकर आई थी, तब उसको रूपये लाने की बात नहीं बताई थी, न ही उनके घर का कोई व्यक्ति वहां पर आया था। उसने उसके फोटो, वीडियो नहीं देखा था। उसके मोबाईल पर एक फोटो आया था, जो उसकी बहिन का नग्न फोटो था और उसे देखते ही डिलीट कर दिया था। उसको पता नहीं कि उसका सेण्डर कौन था, वह मुरझोरी से आया था, वह किसके नाम व नम्बर था, उसको नहीं पता। जब उसे फोटो आया था, तब वह थाने में ही था। उसने इस बात की जानकारी नहीं की कि यह फोटो किसने भेजा था। यह सही है कि जिस दिन उसकी बहिन गांव आई, तो उस दिन ही वे रिपोर्ट कराने नहीं आये, बल्कि 6-7 दिन बाद आये थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी बहिन स्वयं चलकर राममोहन के घर गयी थी। उसकी बहिन के दो चोटें दिखी थी और उसके हाथ में निशान था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसको बहिन ने बताया हो, कि राममोहन से उसकी रात-रात भर बात होती थी ।

18. साक्षी पी०ड० 04 रमेशचंद ने कथन किया है, कि वह दिनांक 02.08.2019 को दिन के करीब 12 बजे पुलिस के साथ गांव झामरी गया था, जहां पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी03 बनाया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि नक्शा मौका की लिखा-पढी गांव झामरी में मौके पर ही की थी। उसको पुलिस वालों ने नक्शा मौका को पढकर सुनाया था और उसने हस्ताक्षर देखकर ही किये थे। यह नक्शा मौका राममोहन के घर का नक्शा बनाया था। इस मकान के तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में किस-किस के मकानियत वगैरा हैं, वह नहीं बता सकता है। जिस मकान का नक्शा

मौका बनाया था, उसमें तीन चार कमरे बने हुए हैं। वह पीडिता, कल्ला वगैरा को जानता है। स्वयं कहा कि वह मुस्तगीस व मुलजिम दोनों को ही जानता है। बैलारा का कप्तान गाडी चलाता है, इस वजह से वह उसको जानता है। वह कप्तान से जानकारी होने के कारण वहां पर नहीं गया था, बल्कि उसको पुलिस वाले वहां पर लेकर गये थे । उसने पुलिस वालों से पूछा कि उसको वहां पर क्यों लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वह कप्तान के साथ आया था, इस वजह से इस प्रकरण में उसको गवाह बनाया गया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पुलिस पहले नदबई गयी हो और वहां से उनको साथ लिया हो, बल्कि वह व कप्तान थाने पर आये थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि ये सारी लिखा-पढी थाने पर ही की हो। वह नहीं जानता कि किस थानेदार के साथ गया था और किस थानेदार ने नक्शा मौका बनाया था। उसको कप्तान ने ही बताया था और उसको घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

19. साक्षी पी०ड०05 पवन सिंह डागुर ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 05.8.2019 को पुलिस थाना बयाना पर कॉनि० के पद पर था। उस दिन एसएचओ द्वारा उनके समक्ष मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी06 के थाना परिसर में गिरफ्तार किया गया था। प्रदर्श पी06 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि उसको इस बात की जानकारी नहीं है, कि वक्त गिरफ्तारी मुलजिम स्वयं थाने पर आया हो और उसको गिरफ्तार किया हो। यह सही है कि वह मुलजिम के गांव या घटनास्थल पर उसी दिन नहीं गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम का एक पैर कटा हुआ है और विकलांग है। उसकी जानकारी में नहीं है, कि मुलजिम बैसाखी के सहारे ही चल पाता हो तथा उसका नकली पैर लगा हुआ है या नहीं। उसने मुलजिम को वाहन चलाते हुए नहीं देखा है, इसलिए नहीं कह सकता कि वह वाहन जैसे मोटरसाइकिल वगैरा चला सकता है या नहीं। जामा तलाशी के वक्त मुलजिम के पास कुछ भी नहीं मिला था।

20. साक्षी पी०ड० 06 जीतेन्द्र सिंह ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 05.8.2019 को पुलिस थाना बयाना पर कॉनि० के पद पर

था। उस दिन एसएचओ द्वारा उनके समक्ष मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी06 के थाना परिसर में गिरफ्तार किया गया था। प्रदर्श पी06 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि उसको इस बात की जानकारी नहीं है, कि आईओ किसी अन्यत्र स्थान से गिरफ्तार करके लाए हों, उन्होंने मुलजिम को केवल थाने पर ही देखा था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वे अनुसंधान अधिकारी के स्थान घटनास्थल व मुलजिम के गाँव नहीं गए और अन्यत्र भी नहीं गए। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम का एक पैर कटा हुआ है, लेकिन कौनसा कटा हुआ है, उसे जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है, कि पैर कटे होने की वजह से वह मोटरसाइकिल चला पता है अथवा नहीं। मुलजिम को जिस मुकदमें में गिरफ्तार किया था, उसका मुकदमा नम्बर व धारा वह नहीं बता सकता।

21. साक्षी पी०ड० 07 सुरेश मीना ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 28.07.2019 को पुलिस थाना बयाना पर एचएम मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 691/2019 में धारा 363, 366, 376, 384 भादंस में पीडिता व मुलजिम के सीलशुदा सैम्पल 01 लगायत लाकर उसे सुपुर्द किये, जिनको उसने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 1412/11 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया गया। असल रजिस्टर प्रदर्श पी07 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 07 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि यह सही है कि प्रदर्श पी-7 में 1 लगायत 5 जो सैम्पल जब्त किये थे, वो किस तारीख को जब्त किये थे और किसके द्वारा किये गये थे, इसका इन्द्राज रजिस्टर में नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिस समय उसको उक्त माल दिया गया था, उस समय उसके सामने पीडिता मौजूद नहीं थी। शीलशुदा पैकेट्स पर एमओ साहब के हस्ताक्षर हो रहे थे। उन पैकेट्स पर एमओ साहब के अलावा पीडिता या मुलजिम के भी हस्ताक्षर हों, तो उसको इस बारे में जानकारी नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उन सीलशुदा पैकेट्स के अन्दर क्या माल था, वह नहीं बता सकता है। सैम्पल्स जमा करते समय उनके पास जब्तशुदा माल की जब्ती

आती है, जिस जब्ती की प्रति उन्होंने इस रजिस्टर के साथ नहीं रखी जाती है। वह नहीं बता सकता, कि फर्द जब्ती किसने बनाई थी और किन-किन मौतबीरान के समक्ष बनाई गई थी। फर्द जब्ती जिस तारीख को बनाई थी, उसका इन्द्राज फर्द जब्ती में होगा, उसको याद नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है, कि जो सैम्पल लाकर दिये थे, वो किस तारीख की घटना से सम्बन्धित थे। स्वयं कहा कि सभी जानकारी सी०डी० व जब्ती में इन्द्राज है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उक्त सीडी आज उसके समक्ष नहीं है। उसने कानि० हरेन्द्र को उक्त सैम्पलस को एफएसएल जांच हेतु सुपुर्द किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि एफएसएल के लिए जो सामान भेजा था, उसका पत्र पत्रावली में नही है। स्वयं कहा कि वह पत्र सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी को नहीं मिलता है, एफएसएल की रसीद पत्रावली में संलग्न है ।

22. साक्षी पी०ड० 08 डॉ० लखपतराम ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 07.08.2019 को सीएचसी, बयाना पर ज्यूरिष्ट के पद पर पदस्थापित था । उस दिन उसने राममोहन उर्फ राम चौधरी का का पुलिस प्रतिवेदन पर पुरूषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना किया था, जो निम्न हैः-

बाह्य परीक्षण करने पर कांख एवं प्यूबिक बाल पूरी तरह से विकसित थे । पेनिस एग्जामिनेशन में पेनिस का साईज 5 सेमी व चौडाई 4 सेमी था, जिसमें रिमेस्टिक रिफ्लेक्स उपस्थित था। स्पाईनल इंजरी की कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। उन्होंने आहत का सैम्पल कलेक्शन ब्लड, स्लाईवा किया और एफएसएल जांच हेतु भेजा। बाद एक्जामिनेशन यह नहीं कहा जा सकता, कि उक्त व्यक्ति किसी प्रकार का सैक्स करने में असमर्थ है। रिपोर्ट प्रदर्श पी08 है, जिस पर ए से बी मजरुब का पहचान चिन्ह, सी से डी मजरूब के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि राममोहन का शरीर पूर्ण रूपेण विकसित था और हाथ पैर सही समालत थे। उसने राममोहन के सीमन का कोई सैम्पल नहीं लिया था। उसने जिस व्यक्ति का एग्जामिनेशन किया था, उसको देखकर नहीं बताया जा सकता था, कि उसने लास्ट बार कब सैक्स किया था। आहत का प्यूबिक हेअर डवलेपथे, पुरानी किसी

चोट की हिस्ट्री नहीं थी और अण्डकोष पूर्ण विकसित थे, इस आधार पर उसने उसको सैक्स के लिए फिट माना था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि आहत का पेनिस उन्होंने एक्साईट करके नहीं देखा था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, उन्होंने उसके लिंग को उत्तेजित करके नहीं देखा हो, इस वजह से कहा नहीं जा सका हो, कि आहत सैक्स करने के लिए सक्षम न हो। उसने उसका पुरूषत्व का परीक्षण ही किया था, अगर आहत के एक पैर व हाथ न हों, तो वह नहीं कह सकता। यह सही है कि उसने जब एगजामिनेशन किया था, तब उसका हाथ पैर सलामत थे।

23. साक्षी पी०ड० 09 डॉ० मनोज ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 02.08.2019 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर बयाना सीएचसी पर तैनात था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर पीड़िता का बोर्ड के द्वारा बलात्कार से सम्बन्धित मुआयना किया गया, जिसमें वह सदस्य था। पीडिता के मुआयना करने पर निम्न तथ्य पाये गये:-

पीडिता द्वितीयक गोण लैगिंक लक्षण पूर्ण विकसित थे। बाहरी परीक्षण व आन्तरिक परीक्षण में पीडिता कोई चोट होना जाहिर नहीं हुआ था। पीडिता के लार, ब्लड व स्वाव वैजाईनल स्लाईड व स्वाईब लिये गये, जिनको सील पैक किया गया और पुलिस ने सुपुर्द किये गये। बोर्ड की राय में पीडिता संभोग की आदि थी और फाईनल ओपिनियन एफएसएल रिपोर्ट आने तक ही देना संभव पाया गया। मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी-5 है, जिस पर ए से बी पीडिता के हस्ताक्षर है व सी से डी पहचान चिन्ह अंकित है। पीडिता का मेडिकल मुआयना स्टाफ नर्स वेद कुमारी की उपस्थिति में किया गया था, जिसके हस्ताक्षर ई से एफ हिस्से में है। पीडिता का मेडिकल मुआयना करने से पूर्व उसकी सहमति ली गई थी, जिसके सम्बन्ध में जी से एच हिस्से में उसकी आई से जे हिस्से में स्वीकृति के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रदर्श पी-5 पर के से एल उसके हस्ताक्षर हैं। पीडिता ने अपने साथ घटना की तारीख 25 अप्रैल, 2019 बताई थी, जिसका अंकन प्रदर्श पी-5 में किया हुआ है, जो एम से एन हिस्से में है। एफएसएल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है, जिसके अनुसार सैम्पल में घूमन सीमन डिटेक्ट नहीं पाया गया है।

एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी० 09 है । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वक्त परीक्षण पीडिता के परिवारीजन मौजूद नहीं थे। यह सही है, कि एम से एन हिस्से में लिखी इबारत पीडिता को कथनानुसार लिखी गई है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता के आन्तरिक व बाहरी कोई चोट मौजूद नहीं थी तथा ऐसी कोई शारीरिक साक्ष्य मौजूद नहीं थी, जिससे लगे कि पीडिता के साथ जोर-जबरदस्ती की गई हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उनकी बोर्ड की राय में पीडिता का उस समय रेप नहीं हुआ है। वक्त परीक्षण पीड़िता की मुआयने के अनुसार बताया नहीं जा सकता था कि पीडिता के साथ रेप की घटना हुई या नहीं।

24. साक्षी पी०ड० 10 डॉ० दीपक कुमार ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 02.08.2019 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर बयाना सीएचसी पर तैनात था। उस दिन पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें वह एक सदस्य था। मेडिकल मुआयना निम्न हैः-

जिसमें जी से एच पीडिता के कन्सेंट है और उक्त परीक्षण स्टाफ नर्स वेद कुमारी की उपस्थिति में किया गया, जिनके हस्ताक्षर ई से एफ है। मुआयना में द्वितीय शारीरिक लक्षण पूरी तरह से विकसित पाये गये। एग्जीलरी हैयर, प्यूबिक हेयर एवं बेस्ट पूरी तरह से विकसित थे। उसके शरीर पर कोई भी बाह्य व आंतरिक चोट नहीं पाई गई। हाईमन टूटा हुआ था। मजरुब के सिलाईबा, ब्लड, वर्जाईना स्वेप के नमूने लिये गये, जो एफएसएल के लिये भेजे गये। प्रदर्श पी-5 में क्यू से आर मेडिकल बोर्ड की राय अंकित है, जिसमें पीडिता इन्टर कोर्स के लिये आदी प्रतीत होती थी। फाईनल राय एफएसएल रिपोर्ट के लिये रिजर्व रखी गई। रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिसमें ओ से पी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिसमें ए से बी में एफएसएल रिपोर्ट का रिजल्ट अंकित है, जिसमें सीमन नही पाया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 में एम से एन में पीडिता ने अपने साथ हुये बलात्कार का दिनांक 25.04.2019 को होना बताया था। यह सही है कि पीडिता के कोई

भी आंतरिक व बाह्य चोट नही थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी-9 प्रदर्श पी-5 के आधार पर ही भरे हुए स्लेब की रिपोर्ट है, जिसमें पीडिता के कोई भी पुरूष का वीर्य नही पाया गया। प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी-9 के आधार पर वे नहीं कह सकते कि पीडिता के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। प्रश्न पूछने पर अगर पीडिता के साथ बलात्कार होता या इन्टरपोर्स होता, तो जो एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 में पुरूष का वीर्य आता। उत्तर में कथन किया, कि यदि सही समय पर सैम्पल कलेक्शन हो जाता, तो उसमें वीर्य पाया जाता। स्वयं कहा कि पीडिता के अनुसार उसका बलात्कार दिनांक 25.04.2019 को हुआ था और उसका परीक्षण 02.08.2019 को हुआ था। वह यह नहीं बता सकता कि पीडिता के साथ दिनांक 25.04.2019 को उसके साथ बलात्कार होता और वह अपना परीक्षण व रिपोर्ट करवाती। उसने पीडिता से तथा उसके मेडीकल बोर्ड ने पीडिता से यह नहीं कहा, कि आप अपना बलात्कार दिनांक 25.04.2019 को बता रही है और दिनांक 02.08.2019 को मेडीकल करवा रही है, उसमें मेडीकल संबंधी कोई तथ्य नही आयेगे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि मेडीकल बोर्ड ने पीडिता के द्वारा दिनांक 25.04.19 को बलात्कार होने के आधार पर दिनांक 02.08.2019 को मुलजिम को झूठा फसाने के लिये यह गलत मेडीकल तैयार किया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता के शरीर पर कोई भी ऐसी साक्ष्य मौजूद नहीं थी, जिससे यह लगे कि पीडिता के साथ जबरदस्ती हुई हो। उनकी मेडीकल बोर्ड की राय के अनुसार भी पीडिता के मुआयना के वक्त वे बोर्ड की राय में यह नहीं कह सकते, कि पीडिता के साथ बलात्कार हुआ या नही हुआ। प्रदर्श पी-9 की रिपोर्ट के आधार पर भी वह यह नहीं कह सकता कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नही हुआ। रिपोर्ट प्रदर्श पी09 के आधार पर बलात्कार होने, नहीं होने के संबंध में कोई राय नहीं दे सकता । इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी09 के अनुसार सीमन नहीं पाया गया । वह प्रदर्श पी09 को देखकर यह नहीं बता सकता, कि पीडिता के साथ बलात्कार हुआ या नहीं ।

25. साक्षी पी०ड० 11 हरेन्द्र सिंह ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 09.10.2019 को पुलिस थाना, बयाना पर कॉनि० के पद पर

तैनात था । उस दिन पांच पैकिट सील शुदा जमा एफएसएल कराने भरतपुर गया था । उक्त माल को जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पुलिस थाना बयाना पर पेश की, जो प्रदर्श पी 10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी10 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं । यह सही है, कि अग्रेषण पत्र पत्रावली में नहीं है । उक्त पांच पैकिट सील बंद थे, जिनके अंदर क्या था, उसे नहीं पता । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसे उक्त पैकिट दिनांक 09.10.2019 को प्राप्त हुये थे, जो उसी दिन जमा करा दिये थे । वह एफएसएल माल जमा कराने रवानगी दर्ज करा कर गया था तथा वापिसी भी दर्ज कराई थी । उक्त रवानगी तथा वापिसी की रपट रोजनामचा पत्रावली में संलग्न नहीं है । उक्त रपट पत्रावली में क्यों संलग्न नहीं है, वह नहीं बता सकता । सील शुदा पैकिट पर मार्क ए,बी,सी व ए, बी डले हुये थे ।

26. साक्षी पी०ड० 12 दीपक ओझा ने साक्ष्य में कथन किया है, कि वह दिनांक 28.07.2019 को पुलिस थाना बयाना पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 691/2019 थाना बयाना अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 384 भा.द.सं. में दर्ज हुआ था। उस दिन प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट मुस्तगीसा/पीडिता ने मय उसके पिता के साथ उसे पेश की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर ए से बी मुस्तगीसा के व सी से डी उसके पिता के हस्ताक्षर हैं। उक्त तहरीर पर ई से एफ उसने कार्यवाही पुलिस अंकित की थी, जिस पर जी से एच उसके साइन हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ए से बी पीडिता, सी से डी उसके पिता व ई से एफ उसके साइन हैं। पीडिता की निशांदेही से व गवाहान के समक्ष उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर ए से बी पीडिता, सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-3 की पुश्त पर कार्यवाही पुलित अंकित है। दौराने अनुसंधान उसने पीडिता व उसके पिता, भाई के बयान 161 द.प्र.सं. के तहत उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। पीडिता के बयानो की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी, जिसकी सीडी पत्रावली पर संलग्न है। पीडिता के बयान धारा 164 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध कराए गए थे व शामिल पत्रावली किए थे। पीडिता का मेडिकल

मुआयना कराया था, जो प्रदर्श पी 5 है, जिस पर क्यू से आर उसके हस्ताक्षर हैं, जो शामिल पत्रावली हैं। अनुसंधान से मुलजिम राममोहन उर्फ राम चौधरी को आरोपी मानते हुए जरिए फर्द गिरफ्तार कर फर्द प्रदर्श पी6 तैयार की थी, जिस पर ई से एफ मुलजिम राममोहन व जी से एच उसके, ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। मुलजिम राममोहन का पुरुषत्व संबंधी परीक्षण कराया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिसे उसने शामिल पत्रावली कर उसके हस्ताक्षर किए थे, उसके हस्ताक्षर जी से एच हैं। एमओ साहब से पांच लिफाफे शील्डशुदा प्राप्त हुये थे, जिनको मालखाना में जमा कराया गया थ, जहां से उक्त लिफाफे जांच के लिये एफएसएल को भेजा गया था, जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है व एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो प्रदर्श पी09 है । उसने अनुसंधान से मुलजिम राममोहन के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 384 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट किता कर न्यायालय में पेश की । अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर नही है और ना ही उसकी लिखावट है और ना ही उसके द्वारा तैयार किया गया है। यह सही है कि प्रदर्श पी-1 में घटना की दिनांक 25.04.19 तथा एफआईआर दिनांक 28.07.19 में डिले का कोई कारण अंकित नही है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसकी तफ्तीश मे यह बात आई थी, कि मुस्तगीसा मुलजिम को पहले से जानती थी और प्रदर्श पी-1 में भी मुस्तगीसा ने यह बात लिखकर दी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसकी तफ्तीश के मुताबिक पीडिता को प्रथम बार दिनांक 25.04.19 को मुलजिम डेहरामोड, नदबई ईलाके में मिला था और वही उसको कोल्डड्रिंक पिलाई। प्रकरण की एफआईआर यहाँ पर इसलिये दर्ज की गई, क्योकि निरंतर किये जाने वाले अपराध थे। उसे याद नही है कि डेहरामोड से झामरी की दूरी कितनी होगी। यह सही है कि वह डहरामोड पर कोई तफ्तीश करने नहीं गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि दिनांक 05.05.19 को प्रार्थिया के मोबाइल नम्बर 7976527847 पर पचास हजार रूपये मैसेज वाली कोई हिस्ट्री उसने नही ली और ना ही कोई डिटेल निकलवाई। इस सुझाव

को स्वीकार किया है, कि उसने पच्चीस हजार रूपये देने वाली बात पर अनुसंधान नहीं किया। यह सही है कि उसने मुलजिम का मेडीकल कराया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम की राईट टांग नहीं थी। उसे याद नहीं है कि उसकी टांग कहाँ से कटी हुई थी। स्वयं कहा कि उसके जयपुर फुट लगा हुआ है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम द्वारा खीचे गये पीडिता के अश्लील फोटोग्राफ उसके द्वारा जब्त नही किये गये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिस कानि० महिला के समक्ष पीडिता के उसके द्वारा पुलिस बयान लिये गये थे, उसको उसने गवाह सूची में नहीं लिया है और उसके बयान भी उसने लेखबद्ध नही किये है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता व मुलजिम के बीच आपसी सहमती से संबंध हो और प्रेम-प्रसंग का मामला हो । जो मुलजिम द्वारा उसे अपने पूछताछ नोट में पीडिता द्वारा उसके पास घर चलकर आना बताया था, उसका उसने चार्जशीट में हवाला दिया है। यह सही है कि पीडिता व मुलजिम के घटना से पहले मोबाईल पर बातचीत का रिकॉर्ड उसने निकलवाया था । स्वयं कहा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलने के कारण उन्होंने पत्रावली में पेश नहीं किया। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने गवाहों के बयान अपनी मनमर्जी से लिखे हो । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने पीडिता के पति व उसके मायके वालों से कोई पूछताछ नहीं की थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता मुलजिम के साथ अपनी सहमति से प्रेम-प्रसंग के कारण गई हो ।

<u>निष्कर्ष</u>

27. इस प्रकरण में जो मुख्य धुरी पीडिता पी०ड० 01 है, उसके बयानों का यदि हम अवलोकन करें, तो मुलजिम के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में पीडिता ने अपने साथ दिनांक 25.04.2019 को मोटरसाईकिल पर जबरदस्ती बैठाकर ले जाकर मुलजिम द्वारा बलात्कार करना बताया है और बाद में उसकी अश्लील वीडियो बनाकर रूपये ऐठने की धमकी देना बताया है, जबकि रिपोर्ट प्रदर्श पी01 दिनांक 25 अप्रेल, 2019 के पश्चात् दिनांक 28.07.2019 को दर्ज कराई गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण प्रदर्श पी01 में नहीं दिया गया है और पीडिता ने जो पी०ड० 01 के रूप में अपनी जिरह

में कथन किये हैं, उनका यदि हम अवलोकन करें, तो उसने अपनी जिरह में यह कहा है, कि कोल्डड्रिंक पीते ही उसका अजीब सा सिर हो गया था तथा सिर भारी हो गया था । यदि पीडिता बेहोश हो गई थी तो मोटरसाईकिल पर डहरामोड से घटनास्थल तक बेहोशी की हालत में किस प्रकार से गई, यह उसके कथनों से स्पष्ट नहीं है । धारा 164 सीआरपीसी के बयान जो उसने प्रदर्श पी04 घटना के बाद दिये हैं, उसमें उसने यह स्वीकार किया है, कि मुलजिम की उसकी घटना से पहले बातचीत होती थी और मोटरसाईकिल पर कोई तीसरा आदमी बैठा था, जबकि प्रदर्श पी01 में और न्यायालय में दिये गये बयानों में ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं । पीडिता का मुलजिम के घर पर होना प्रदर्श पी04 में लिखा हुआ है और वहीं पर बलात्कार होना बताया है तथा उसका अश्लील वीडियो और फोटो बनाना बताया है । उसके बाद भी वह प्रदर्श पी04 के मुताबिक अपने ससुराल चली गई और दिनांक 05.05.2019 को पच्चीस हजार रूपये देने के लिये मुलजिम द्वारा उसे डहरामोड पर देना कथन किया है, जबकि रिपोर्ट प्रदर्श पी01 दिनांक 28.07.2019 को दर्ज कराई गई है । उसके मेडिकल रिपोर्ट में ना तो कोई चोट उसके शरीर पर या प्राईवेट पार्ट पर बताई है, ना डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी09 में पीडिता व मुलजिम का मैच हुई है । तथ्य यह भी है, कि पीडिता का राममोहन द्वारा बलात्कार का वीडियो दिखाना और उसके बाद राममोहन द्वारा धमकी देना बताती है, लेकिन ऐसी कोई सीडी भी अश्लील वीडियो की अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त नहीं करना बताया है । गवाह पी०ड० 12 अनुसंधान अधिकारी की जिरह का यदि हम अवलोकन करें, तो उसमें यह आया है, कि पचास हजार रूपये पीडिता द्वारा मुलजिम के मोबाईल पर भेजने की कोई डिटेल उसके द्वारा नहीं निकाली गई है । पच्चीस हजार रूपये देने वाली बात का भी कोई अनुसंधान नहीं किया है । कोई अश्लील फोटोग्राफ उसके द्वारा जब्त नहीं किये गये हैं । पीडिता की जिरह के मुताबिक वह यह नहीं बता सकती, कि उसके साथ कब बलात्कार हुआ, सिर्फ उसने महसूस करना बताया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया हो । अन्य गवाह पी०ड० 02 व पी०ड० 03 पीडिता के घरवाले है, जो अनुश्रुत साक्षी है । पुलिस ने डहरामोड का भी कोई नक्शा मौका नहीं बनाया

है । गवाह पी०ड० 04 नक्शे मौके का गवाह है । पी०ड० 05 और पी०ड० 06 मुलजिम की गिरफ्तारी के गवाह हैं । गवाह पी०ड० 07 मालखाना में पीडिता व मुलजिम के सील्डशुदा सैम्पल जमा कराना बताता है । गवाह पी०ड० 08, 09 व 10 ने पीडिता व मुलजिम के मेडिकल मुआयना किया है । गवाह पी०ड० 11 एफएसएल में जमा कराने के कथन करता है ।

इस प्रकार घटना की रिपोर्ट घटना के लगभग चार माह पश्चात् दर्ज करना, कोई अश्लील वीडियो पत्रावली पर मौजूद नहीं होना, कोई पैसे का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना, पीडिता के बयानों में गंभीर विरोधाभास होना, धारा 164 सीआरपीसी के बयान व पुलिस रिपोर्ट में पीडिता द्वारा भिन्न-भिन्न कथन करना, मेडिकल रिपोर्ट से पीडिता के साथ कोई बलात्कार होना साबित नहीं होना, अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीडिता व मुलजिम की कॉल डिटेल नहीं निकलवाना तथा डहरामोड से मुलजिम के घर तक पीडिता का मोटरसाईकिल पर बैठकर जाना अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं करता है । पीडिता वक्त घटना नाबालिग भी नहीं थी तथा तथाकथित घटना के समय वह शादीशुदा थी ।

28. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि किसी भी आपराधिक विचारण में साक्ष्य का कठोर निर्वचन का सिद्धान्त लागू होता है। आपराधिक विचारण में अभियोजन पक्ष का यह परम दायित्व है, कि वह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी लोप अथवा उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्तगण ही प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करन में विफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.04.2019 को जब पीडिता अपने पीहर गांव बैलारा आ रही थी, तो रास्ते में डहरामोड बस स्टैण्ड पर उसे बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाई और उसे अपने साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने गांव झामरी ले जाकर उसके विधिक संरक्षण से बिना उसकी सहमति से उसको मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जाकर पीडिता को विवाह या अयुक्त संबंध करने के आशय

से अपहरण/व्यवहरण कर बलपूर्वक बलात्संग किया व उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर कहा, कि उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसकी वीडियो वायरल कर देगा । अतः उपरोक्त विवेचन से यह बिन्दु अभियोजन पक्ष, अभियुक्त राममोहन के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 02

29. चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या एक को अभियोजन पक्ष, अभियुक्त राममोहन के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 363, 366, 376, 384 भादसं के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

आदेश

30. अतः अभियुक्त **राममोहन उर्फ राम चौधरी** पुत्र स्व० उदल सिंह, उम्र 24 साल, निवासी- झामरी थाना बयाना, जिला भरतपुर (राज०) को आरोपित अपराध धारा 363, 366, 376, 384 भादसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के प्रत्येक पेशी पर उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।

31. अभिलेख पर उपलब्ध पीडिता एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त, मामले में पीडित पक्ष को उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार पीडित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत किसी प्रकार के प्रतिकर की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(प्रदीप कुमार)

32. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 17.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)